



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 624 राँची, शुक्रवार,

4 अक्टूबर, 2024 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना संख्या-01/विविध-07-01/2013(अंश)-13--भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 1126, दिनांक 30.11.2012 के द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012" की कंडिका (6)(ii) एवं (12)(i) के आलोक में नियमावली के उपबन्धों के कार्यान्वयन एवं संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के लिए "झारखण्ड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024" निम्नरूपेण गठित की जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- यह "झारखण्ड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024" कही जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह विनियम अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं - इस विनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार;
 - (ii) 'संविधान' से अभिप्रेत है भारत का संविधान;
 - (iii) 'विभाग' से अभिप्रेत है पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग;
 - (iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (3) (i) के अन्तर्गत गठित आयोग;
 - (v) 'नियमावली' से अभिप्रेत है पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1126, दिनांक 30.11.2012 के द्वारा गठित झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012
 - (vi) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल;
 - (vii) 'विभागीय मंत्री' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा-कार्य विभाग के मंत्री;
 - (viii) 'विभागीय सचिव' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा-कार्य विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव;
 - (ix) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (3)(ii)(a) के अन्तर्गत आयोग के मनोनित अध्यक्ष;
 - (x) 'सदस्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (3)(ii)(b) के अन्तर्गत आयोग के मनोनित सदस्य,
 - (xi) 'सदस्य सचिव' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (3)(पप)(ब) के अन्तर्गत आयोग के मनोनित सदस्य सचिव
 - (xii) 'वित्तीय वर्ष' से अभिप्रेत है सरकार के वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष, (वर्तमान में 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त);
 - (xiii) 'बैंक' से अभिप्रेत है राज्य में कार्यरत अधिसूचित बैंक;
3. विस्तार तथा प्रयुक्ति:- तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ये विनियम आयोग की प्रक्रिया एवं संचालन के लिए लागू होंगे।
4. आयोग की संरचना एवं मानव बल:-
 - (i) झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (5)(i) के आलोक में विभाग वैसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो आयोग के कार्यकलापों के प्रभावशाली निष्पादन हेतु आवश्यक हो ।
 - (ii) आयोग के कार्यरत रहने के दौरान आयोग में निम्नांकित कर्मियों का नियोजन वाह्यस्रोत एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा -

क्र.सं०	पदों का नाम	संख्या	अभ्युक्ति
1.	लिपिक-सह-टंकक/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	सभी कर्मियों का नियोजन विभागीय अनुमोदनोपरान्त वाह्यस्रोत एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों के लिए योग्यता, वेतन-भत्ते/मानदेय, आदि का निर्धारण वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अनुरूप की जाएगी।
2.	आदेशपाल	02	
3.	सफाईकर्मी	02	

- (iii) उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार झारखण्ड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष की अनुशंसा पर विभागीय अनुमोदन के उपरान्त ही दैनिक भोगी कर्मियों का नियोजन किया जा सकेगा ।
- (iv) आयोग के कार्यरत रहने के दौरान ही उपर्युक्त वर्णित कर्मियों की सेवा ली जाएगी। आयोग के अकार्यशील रहने की अवस्था में लेखापाल को सभी लेखा कार्य एवं अन्य अभिलेखों के संधारण तथा कार्यालय के साफ-सफाई हेतु केवल 01 माह का अवधि विस्तार दिया जाएगा ।
- (v) आयोग के अकार्यशील होने से अभिप्रेत है कि जब आयोग में झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (3)(ii)(a)(b) के अन्तर्गत मनोनित होने वाले आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के सभी पद रिक्त हों अथवा झारखण्ड राज्य युवा आयोग को भंग कर दिया गया हो। झारखण्ड राज्य युवा आयोग के अक्रियाशील रहने की स्थिति में आयोग के सदस्य सचिव की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग में वापस ले ली जायेगी ।

- (vi) आयोग के लिए स्वीकृत पदों पर नियोजित वाह्यस्रोत कर्मियों को सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा, वे वाह्यस्रोत एजेंसी के कर्मी माने जाएँगे, एवं उन्हें वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, तथा उनका किसी भी प्रकार का भुगतान अथवा नियमितिकरण अथवा कोई भी अन्य दावा आयोग/विभाग/सरकार पर नहीं होगा ।
- (vii) कर्मियों की उपलब्धता हेतु निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग वाह्यस्रोत एजेंसी का चयन कर सकेगा। विभाग अथवा विभाग के नियंत्राधीन किसी भी निदेशालय, अथवा झारखण्ड खेल प्राधिकरण के द्वारा अनुबन्धित वाह्य स्रोत एजेंसी की सेवा भी इस कार्य हेतु ली जा सकती है। चयनित वाह्य स्रोत एजेंसी द्वारा कर्मियों की सेवा विभागीय शर्तों के अधीन देना सुनिश्चित किया जायेगा ।
5. सदस्य सचिव के अधिकार एवं कार्य:- आयोग के सभी कार्यकलापों का संचालन सदस्य सचिव के माध्यम से किया जाएगा -
- (i) आयोग की ओर से सभी प्रकार के पत्राचार,
 - (ii) आयोग के द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन,
 - (iii) अध्यक्ष के निदेश के आलोक में आयोग का प्रशासनिक एवं दैनन्दिनी कार्य,
 - (iv) आयोग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण, कार्य बँटवारा, अवकाश की स्वीकृति, चारित्री अभिलेखन, मानदेय, पारिश्रमिक व वेतनादि का भुगतान, अनुपस्थिति विवरणी, कार्यालय का निरीक्षण, कर्मियों के कार्यों की समीक्षा, आदि सहित सभी कार्य जो आयोग के संचालन, अनुशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो,
 - (v) आयोग का सरकार के अन्य विभागों, संस्थाओं, केन्द्र सरकार के युवा आयोग, अन्य राज्यों के युवा आयोग के साथ समन्वय,
 - (vi) आयोग की बैठक का आयोजन, बैठक के लिए एजेंडा का गठन, बैठक की सूचना का ससमय संप्रेषण, बैठक की कार्यवाही, विगत बैठक सम्बन्धी ए.टी.आर. (ActionTaken Report),
 - (vii) राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर आयोग के दौरों का प्रबन्धन,
 - (viii) सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण,
 - (ix) सरकार के द्वारा आयोग को दिए गए वित्तीय अधिकारों का उपयोग,
 - (x) सुनिश्चित करना कि आयोग के कार्य-कलाप सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हों,

(xi) आयोग के संचालन एवं कार्य-कलाप के सम्बन्ध में अध्यक्ष/विभाग/सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन,

(xii) वैसे सभी अन्य कार्य जो आयोग के संचालन हेतु आवश्यक हों,

6. अध्यक्ष एवं सदस्यगण का वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्त तथा बंधेज:-

(i) झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (5)(प) के आलोक में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण का वेतनादि का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है -

क्र०सं०	विवरण	अध्यक्ष	सदस्य
1.	दर्जा	सरकार के कैबिनेट मंत्री के समतुल्य।	सरकार के राज्य मंत्री के समतुल्य।
2.	वेतन	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड सरकार के संकल्प सं. - 606 दिनांक 31.05.2018 द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता देय होगा।	
3.	आवास	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड सरकार के संकल्प सं. - 606 दिनांक 31.05.2018 द्वारा निर्धारित आवास एवं अन्य सुविधा।	
4.	वाहन	वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भाड़े पर एक वाहन (चालक सहित)।	
5.	यात्रा-भत्ता	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड सरकार के संकल्प सं. - 606 दिनांक 31.05.2018 के अनुरूप यात्रा भत्ता।	
6.	आवासीय फोन	उपर्युक्त क्र०सं० (1) में निर्धारित वेतन श्रेणी के अनुसार वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित।	
7.	मोबाईल		
8.	इंटरनेट सुविधा		
9.	अखबार एवं पत्र-पत्रिकाएँ	05 स्थानीय व 02 राष्ट्रीय अखबार (हिन्दी एवं अंग्रेजी), 02 पत्रिका।	04 स्थानीय व 01 राष्ट्रीय अखबार, 01 पत्रिका।

(ii) सदस्य सचिव को आयोग के कार्य हेतु सरकारी सेवा में उनके पद एवं श्रेणी के अनुरूप अनुमान्य सुविधाएँ देय होगी ।

(iii) अध्यक्ष के अनुमोदन से आयोग कार्यालय के लिए प्रतिदिन 02 अखबार उपलब्ध कराया जाएगा ।

- (iv) सदस्य सचिव को उनके पद व श्रेणी (Rank and pay Matrix) के अनुसार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्धारित यात्रा एवं अन्य भत्ते देय होंगे। सदस्य सचिव को आयोग के कार्य हेतु अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्राओं के लिए ही यात्रा एवं अन्य भत्ता देय होगा। सदस्य सचिव के यात्रा भत्ता का भुगतान आयोग की स्थापना मद में आवंटित राशि से किया जाएगा ।
- (v) अध्यक्ष अपने सभी भ्रमण-कार्यक्रमों (राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर) का अनुमोदन करने के लिए स्वयं सक्षम प्राधिकार होंगे। सदस्यगण एवं सदस्य सचिव की राज्य के अन्दर की यात्रा का अनुमोदन अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य से बाहर से यात्रा के लिए अध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

7. लेखा एवं बजट -

- (i) आयोग आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर, आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर विभाग को ससमय उपलब्ध कराएगा। आयोग के बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में आयोग के द्वारा किए जाने वाली कार्यों की रूप-रेखा एवं संभावित व्यय सन्निहित होगी ।
- (ii) विभागीय स्वीकृति एवं बजटीय राशि के उपबन्ध होने के बाद उपबन्धित राशि विभाग के द्वारा आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी ।
- (iii) आयोग के मुख्यालय में आयोग के लेखा का संधारण किया जाएगा। सरकार के वित्त नियमावली, कोषागार संहिता व सरकार के द्वारा समय-समय जारी विभिन्न निर्देशों के अनुसार लेखा का संधारण किया जाएगा ।
- (iv) विभाग के द्वारा बजटीय उपबन्ध का आवंटन सीधे आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (v) आयोग के सदस्य सचिव आयोग के निकासी-एवं-व्ययन पदाधिकारी होंगे। सदस्य सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
- (vi) आयोग के सदस्य सचिव को एक लाख रुपये एवं अध्यक्ष को पाँच लाख रुपये का विपत्र पारित करने की शक्ति होगी, उससे अधिक राशि के विपत्र पारित करने हेतु विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। भविष्य में, विपत्र पारित किए जाने की शक्तियों में संशोधन विभाग के स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा ।
- (vii) लेखा के संधारण हेतु झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली - 2012 की कंडिका (5)(i) के आलोक में आयोग को एक लेखा पदाधिकारी, एक लेखापाल एवं एक एम.टी.एस./ट्रेजरी सरकार की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

8. आय प्राप्त एवं बैंक खाता का संचालन -
- (i) अध्यक्ष के अनुमोदन से आयोग को अपने नाम से किसी अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता खोलने की अनुमति होगी ।
 - (ii) सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि का संधारण उक्त खाते में किया जा सकेगा ।
 - (iii) आयोग को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाले धनराशि का संधारण आयोग के बैंक खाता में किया जायेगा। किस स्रोत से कितनी राशि एवं किस कार्य हेतु आयोग प्राप्त हुई है/हो रही है की सम्पूर्ण विवरणी विभाग को समय-समय पर आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त ही आयोग इसका व्यय आयोग के लिए निर्धारित कार्यकलापों एवं गठन के उद्देश्यों की पूर्ति मात्र के लिए किया जा सकेगा ।
 - (iv) धनराशि के अतिरिक्त आयोग किसी भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, निकाय, आदि से सामग्री के रूप में ऐसी सहायता, दान, आदि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जिनका उपयोग आयोग के लिए निर्धारित कार्यकलापों के लिए जा सकेगा। इसकी भी सम्पूर्ण विवरणी विभाग को समय-समय पर आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
 - (v) ऐसे आय एवं सामग्री के व्यय अथवा वितरण आयोग की बैठक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।
 - (vi) आयोग के बैंक खाता का संचालन अध्यक्ष द्वारा इस कार्य हेतु मनोनीत किसी एक सदस्य एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा, परन्तु यह कि खाता संचालन हेतु सदस्य सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।
 - (vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आयोग के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के द्वारा अपने सभी आय-व्ययक का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा, अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी ।
9. प्रशासनिक एवं आयोग के संचालन सम्बन्धी विषयों पर प्रक्रिया के निर्धारण हेतु आयोग सक्षम प्राधिकार होगा ।
10. उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई भी नयी योजना, अथवा विषय, जिसमें लोक निधि का व्यय संभावित हो, के सम्बन्ध में विभाग के माध्यम से सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ही आयोग कार्यवाई करेगा ।
11. अन्य बातों के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उपर्युक्त में से कोई भी कंडिका, जिसमें निहित शर्तें सरकार के किसी विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प के समरूप न हों, तो सरकार के द्वारा निर्गत इस अधिसूचना को उक्त विषय पर लागू माना जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
